न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
68 / अपील / 2019	06.08.2019	22.10.2019

प्रहलाद, मोरपाल, किशन आ. मांगी लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम धनाव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान) – अपीलांटस

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0) – रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 05.11.2018
नायब तहसीलदार, दबलाना
अन्तर्गत धारा 22 रा0 उपनिवेशन अधिनियम 1954
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–

अपीलांटस की ओर से – श्री दुर्गालाल गोचर, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.2018 से अप्रसन्न होकर अपीलान्टस ने अंतर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्टस को आराजी खसरा नम्बर 05 रकबा 04 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम जयनिवास तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 500/– रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्टस व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्टस को जवाब, शहादत, सबूत आदि प्रस्तुत करने से वंचित रखा गया है। अपीलान्टस ने विवादित भूमि से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित पैनाल्टी भी जमा करा दी गई है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया *गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय* में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज़ फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्टस द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा छोड दिया है लेकिन कब्जा छोडने बाबत् कोई साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं की है। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्टस ने विवादित भूमि से कब्जा छोड दिया हो। अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्टस को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्टस ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्टस मय शपथ पत्र सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्टस ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A 6/3

जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावें। यदि अपीलान्टस उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)